

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला जिला सीकर

उनवान ... फुलचन्द

बनाम ... तहसीलदार

केसम मुकदमा ... सा.प.क. 131 LRA मुकदमा नं. ... 70 सन् 2020-
2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	---------------------------------------	--

26/11/19

प्राप्ति की ओर से वकील श्री सुभाष शर्मा ने प्रार्थना पत्र किया रिपोर्ट लिखवा ली गयी। वाद पत्र दर्ज राखे जावे। प्रतिवादी गण के जरिये सम्मान लम्ब किया जाक निम्न दिनांक 01/01/20 को फेर दी

01/01/20

पचासवीं पैस हुई। वकील प्राप्ति घोषित। प्रतिवादी स.प. की तामील पोस्ट आरी। इनको अफादे लिखनी गयी। 01/01/20 अफादे अनुपस्थित रहे अतः प्रतिवादी, अपूर्ण स.प. के विरुद्ध एक नमूना कार्यवाही अफादे के जारी आगी है।

बदल वकील प्राप्ति की सुनी गयी। तब्या उस पर सगोटे मगन किया। प्राप्ति ने पञ्जाब गत भूमि में प्राप्ति का नाम फुला के स्थान पर फुलचन्द घोषित करवाने का अनुतोष पाया है। तब्या वाद की नु. स.प. के वर्णित भूमि में के कालु लुका म्हाडू के स्थान पर वास्तविक

नामिक हुमा

दिनांक

नाम कुलचन्द्र चौधरी कलाने का अर्जा
 चार्ज है उक्त कथनों के समर्थन के
 प्रार्थी ने कार्यवाही ग्राम पंचायत का सचि
 वारा श्री उमाल पत्र व राशन कार्ड आदि
 कार्य, मतदाता पहचान पत्र प्रेषण किया है
 ग्राम पंचायत का सचिव ने प्रार्थी के पिता
 महादेव के कथनों लक्ष्मण कुमार गोपाल
 भोलाराम, फुलाराम अर्थात् जाल निवासी निमित्त
 होमा अंकित किया है तथा काफ़ी उक्त महोदय
 नाम का होमा उक्त पत्र नही होने का
 उमाल पत्र प्रेषण किया है प्रार्थी के कथनों के
 में प्रेषण आचार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता
 पहचान पत्र व प्रार्थी के आगे पिता का
 सही नाम कुलचन्द्र चौधरी उक्त महादेव सा
 होमा लाकित होमा है अतः प्रार्थी का
 प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने
 पर स्वीकार किया जाता है कि :-

आदेश

ग्राम सीमा तहसील खण्डेला जिला सीमा
 राजस्थान के भूमि खण्ड 206 ता 217, 221,
 222, 250, 251, 254, 255, 307, 308, 309 कुल
 कित 21 कुल रकबा 8.07 में प्रार्थी का नाम
 कुला उक्त महादेव के स्थान पर कुलचन्द्र चौधरी
 उक्त महादेव साहब तथा ग्राम पंच खण्डेला नं०
 तहसील खण्डेला जिला सीमा के भूमि खण्ड 206
 ज

103 ता 109, 113, 115, 116, 135, 136, 137
 कुल किता 13 कुल रक्का 8.97 है मे कालु
 पुत्र महायु के स्थान पर फुलचन्द्र चौधरी
 पुत्र महादेवशाम दुकानत किता जाके पालना
 हेतु लक्ष्मीन दार खण्डेला को लक्ष्मी गणी
 ही पत्नीवली फुलचन्द्र कुमार होमेर नाम
 के कम हो खास लक्ष्मीन दारखिल दालर

for
 1.1.20
 (राजीव सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)